लिंगवाणा से सौडू रानीताल मोटर मार्ग के प्रस्ताव सं0 (FP/UK/ROAD/17623/2016) ऑन लाईन होने पर आयी आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण

User agency againt E.D.S.	E.D.S. Reply
Authority letter uploaded in Part I is not matching with the details of the applicant	अधिशासी अभियन्ता द्वारा वन भूमि प्रस्ताव को अपलोड़ करने के लिए सम्बन्धित सहायक अभियन्ता को नामित किया गया है।
In the geo referenced digital map of the area proposed for diversion, uploaded at C (iv) Part I online, geo coordinates are shown on google map which does not serve the purpose. May provide/upload scanned copy of GIS software generated geo referenced digital map to the exact scale of the proposed road showing geo coordinates at 200 to 300 m interval along the alignment including all turning points.	जियो रियोरैफरेंश मैप में कॉर्ड़िनेट्स 200 मी0 से 300 मी0 की दूरी पर तथा जियो रियोरिफरेंश ड़िजिटल मैप के साथ गठित कर पुनः अपलोड़ कर दिया गया है।
The digital map of area proposed for CA is provided in google map, which does not serve the purpose. The State Govt may provide/upload GIS software generated revised map in designated place in online Part I.	सी0ए0 हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का आवश्यक ड़िजिटल मैप गठित कर सभी बिन्दुओं के कॉर्ड़िनेट सहित पार्ट–। में अपलोड़ किया जा चुका है।
NPV calculation as per information provided in hard copy is done for taking density 0.4 and dense forest category which is not correct as per the number of trees proposed to be felled. The State Govt may do the necessary correction in this regard and upload the correct density and revised NPV calculation in online web portal.	प्रभागीय वनाधिकारी से सम्बन्धित है।
The FRA certificate uploaded in online Part I is without enclosing district level committee and village level committee meetings proceedings. The State Govt may upload FRA with complete enclosures.	एफ0आर0ए0 सही पूर्वक व पूर्णतः अपलोड़ किया जा चुका है।
The village level committee proceeding for village Lingwana and Bhadarsu is not provided with the FRA certificate provided in hard copy of the proposal. The State Govt may provide VLC proceedings for these two villages also as these villages are mentioned in village wise break up through which the proposed road is passing. The complete document may upload in online Part I, column K alongwith the FRA certificate.	ग्राम लिंगवाणा व ग्राम मोल्टा की ग्राम समिति के स्तर की कमेटी पुनः अपलोड़ की जाती है। ग्राम भद्रासू इस योजना से प्रभावित नहीं हो रही है तथा ना ही विलेजवाईज ब्रेकअप में यह ग्राम सम्मिलित है। एफ0आर0ए0 से सम्बन्धित समस्त समितियों के अभिलेख पार्ट–। (k) में अपलोड़ किये जा रहे है।
Employment generation detail may also furnish in online Part I.	एम्पलोयमेन्ट जनरेशन की ड़ीटेल अपलोड़ की जा चुकी है।
The detail of land proposed for muck dumping may also furnish in component wise break up in online Part I.	मलवा निस्तारण हेतु प्रयोग में ली गई भूमि, मलवा निस्तारण के पश्चात भी काश्तकारों के स्वामित्व में ही रहेगी इस हेतु काश्तकारों से सहमति ले ली गई है जिसे अपलोड़ किया जा रहा है। जिस कारण नाप भूमि हस्तान्तरण में सम्मिलित नहीं की गई है। जिस कारण इसका विवरण कम्पोनेन्ट वाईज ब्रेकअप में दिया जाना सम्भव नहीं है।

12/9/17

अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
12/9/17 मु0 कीर्तिनगर

जीयोरेफेरेन्स मैप – जनपद टिहरी गढवाल में राज्य योजना के अन्तंगत लिंगवाणा से सौडु रानीताल से मोल्ठा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु (लम्बाई – 4.350 कि0मी0)

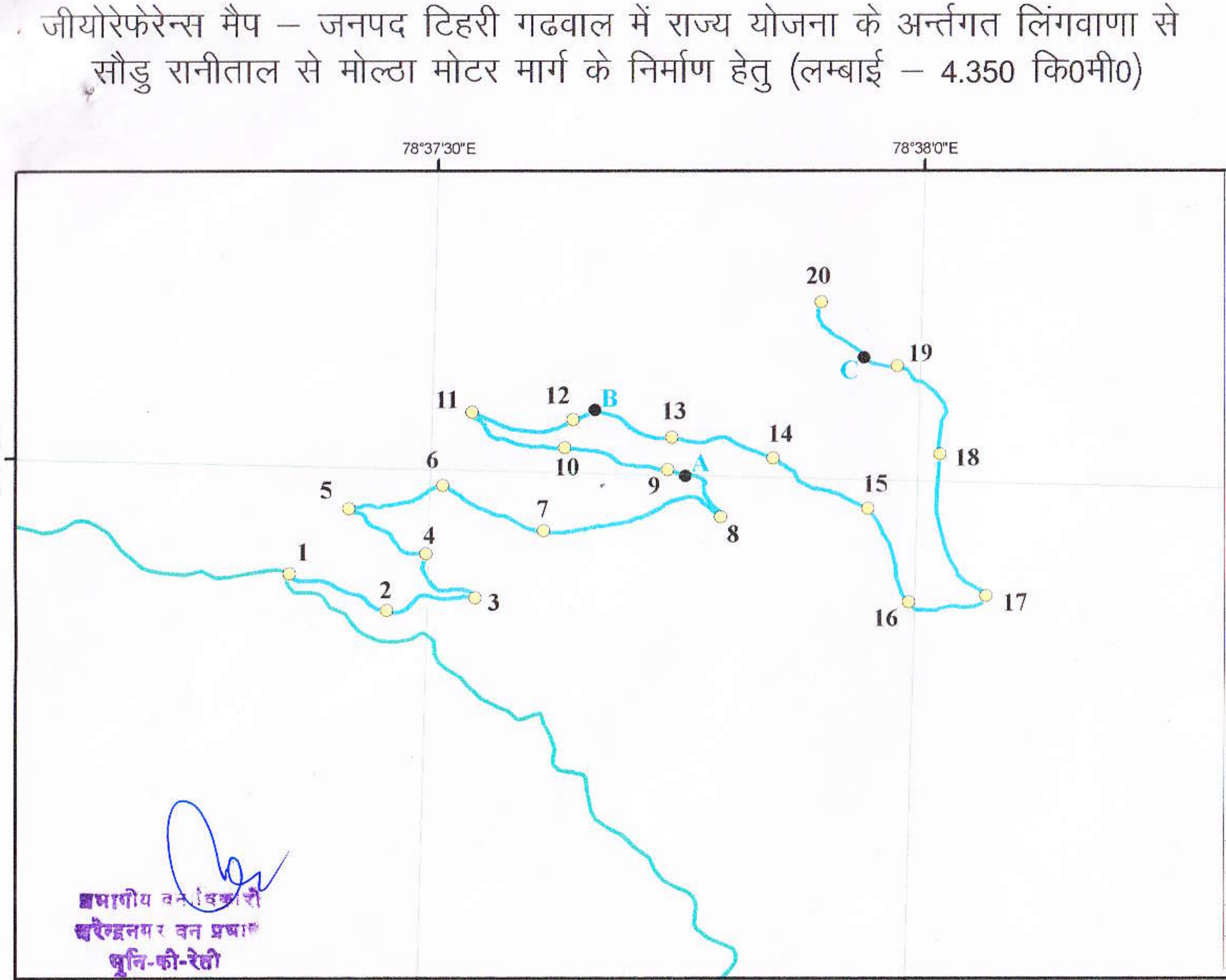

S.no.	Longitude	Latitude
1	78° 37' 21.459" E	30° 17' 24.279" N
2	78° 37' 27.486" E	30° 17' 22.419" N
3	78° 37' 32.894" E	30° 17' 23.212" N
4	78° 37' 29.802" E	30° 17' 25.461" N
5	78° 37' 25.028" E	30° 17' 27.806" N
6	78° 37' 30.729" E	30° 17' 29.135" N
7	78° 37' 37.043" E	30° 17' 26.840" N
8	78° 37' 47.937" E	30° 17' 27.806" N
9	78° 37' 44.586" E	30° 17' 30.269" N
10	78° 37' 38.234" E	30° 17' 31.299" N
11	78° 37' 32.407" E	30° 17' 33.063" N
12	78° 37' 38.675" E	30° 17' 32.779" N
13	78° 37' 44.810" E	30° 17' 31.958" N
14	78° 37' 51.074" E	30° 17' 31.006" N
15	78° 37' 56.947" E	30° 17' 28.461" N
16	78° 37' 59.594" E	30° 17' 23.556" N
17	78° 38' 4.360" E	30° 17' 23.979" N
18	78° 38' 1.303" E	30° 17' 31.443" N
19	78° 37' 58.560" E	30° 17' 36.035" N
20	78° 37' 53.768" E	30° 17' 39.371" N
Muck Disposal		
A	78° 37' 45.660" E	30° 17' 29.940" N
B	78° 37' 40.020" E	30° 17' 33.360" N
C	78° 37' 56.520" E	30° 17' 36.480" N

Legend

- Muck Disposal Point
- Mroad GPS Coordinates
- Proposed Road

प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनि-की-रेती

उप प्रभागीय वनाधिकारी
(देवप्रयाग)
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग

वन क्षेत्राधिकारी
माणिकनाथ रेंज
डांगचौरा
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग

सहायक अभियन्ता–
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
श्रीनगर-मु० कीर्तिनगर टि० ग०

Executive Engineer
T.D. P.W.D. Srinagar
B.O. Kirtinagar

जीयोरेफेरेन्स मैप – जनपद टिहरी गढवाल में राज्य योजना के अन्तर्गत लिंगवाणा से सौड़ु रानीताल से मोल्ठा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल

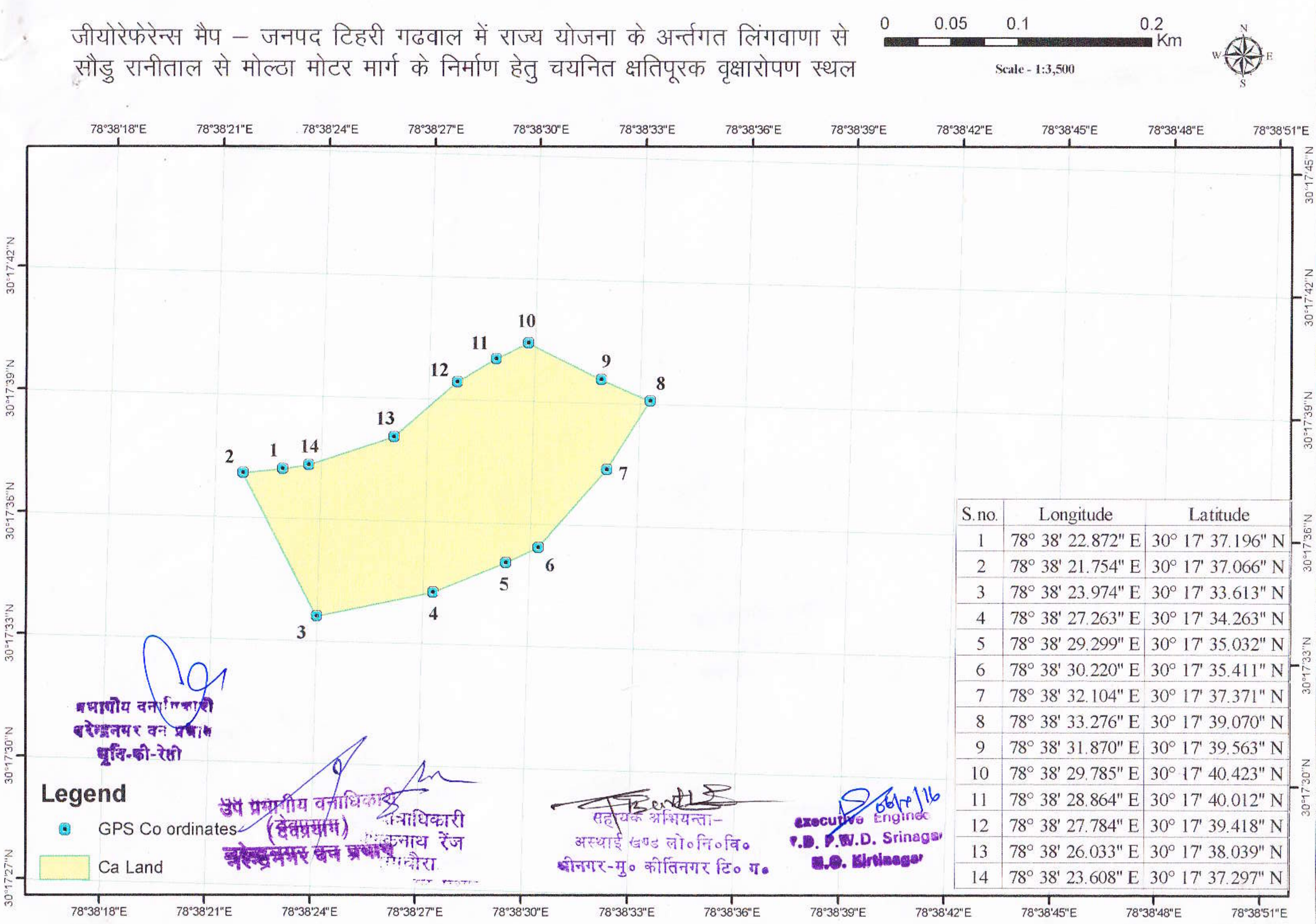

S.no.	Longitude	Latitude
1	78° 38' 22.872" E	30° 17' 37.196" N
2	78° 38' 21.754" E	30° 17' 37.066" N
3	78° 38' 23.974" E	30° 17' 33.613" N
4	78° 38' 27.263" E	30° 17' 34.263" N
5	78° 38' 29.299" E	30° 17' 35.032" N
6	78° 38' 30.220" E	30° 17' 35.411" N
7	78° 38' 32.104" E	30° 17' 37.371" N
8	78° 38' 33.276" E	30° 17' 39.070" N
9	78° 38' 31.870" E	30° 17' 39.563" N
10	78° 38' 29.785" E	30° 17' 40.423" N
11	78° 38' 28.864" E	30° 17' 40.012" N
12	78° 38' 27.784" E	30° 17' 39.418" N
13	78° 38' 26.033" E	30° 17' 38.039" N
14	78° 38' 23.608" E	30° 17' 37.297" N

प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनि-की-रेती

उप प्रभागीय वनाधिकारी
(देवप्रयाग)
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग

[illegible] वनाधिकारी
[illegible]नाथ रेंज
[illegible]ीरा

सहायक अभियन्ता-
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
श्रीनगर-मु० कीर्तिनगर टि० ग०

06/10/16
Executive Engineer
T.D. P.W.D. Srinagar
H.Q. Kirtinagar

OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR
DISTRICT TEHRI GARHWAL (UTTARAKHAND)

Proceeding of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA) 2006.

A meeting of the District Level Committee Tehri Garhwal District. Constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Shri INDUDHAR BAURAI I.A.S. District Collector Tehri Garhwal at New Tehri in which the applicant claiming rights in **Devprayag** Block area measuring **1.4875 Hectare** for the construction of **Lingwana Saoruranital Road** in Tehsil **Devprayag** of forest land under FRA 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the Sub Division Level Committee of **Devprayag** Sub Division were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions no objection/claims were found to have been made and hence District Level Committee recommended the above case for diversion for land for the said purpose.

(इन्दुधर बौड़ाई)
जिलाधिकारी
टिहरी गढ़वाल।

Place :- Tehri

Dated - 17/12/16

District Collector Cum chairman
District Tehri Garhwal
New Tehri

(59)

Annexure-I

प्रारूप सं0 30

FORM – I

(For linear Projects)

Government of **Uttarakhand**

Office of the District Collector **Tehri Garhwal**

No. 986/XXVII–100(2015-16) Dated 28/12/2015

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and forest (MoEF), Government of India letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having intiated and completed the process of settelement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEFs letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 1.4875 **hact.** of forest land proposed to be deverted in favour of **Public Works Department , Kirtiangar** for **Construction of Lingwana Sauru to Ranital Motor Road** in **Tehri Garhwal** District falls within jurisdiction of **Lingwana, Sauru, Ranital & Moltha** Villages in **Devprayag** tehsils.

It is further certified that:

a) the complete process for indetification and settlement of right under it FRA has been carried out for the entire **1.4875 Hac.** of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the forest Rights Committees, Gram Sabha, Sub Division Level Committees and the District Level Committee are enclosed as annexure **23** to annexure 23.2

b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabha have given their consent to it.

c) the proposal does not invole recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities.

Encl: As above

Signature

(ज्योति नीरज खैरवाल)
जिलाधिकारी
टिहरी गढ़वाल।

(Distt. Colector)

प्रारूप 30

It is further certified that – Minutes of meeting of **Lingwana to saoru, ranital to moltha** Motor Road (4.350 km.) regarding FRA is as following.

Sr. No.		Remarks
(a)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1.4875 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the forest rights committee(s), Gram Maletha (s), Sub- Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure to annexure.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to schedules tribes and other traditional forest Dwellers.
(b)	The Diversion of Forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram **Jhanau (Jurana)** have given their consent to it.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to schedules tribes and other traditional Forest Dwellers. No objection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road is attached.
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to schedules tribes and other traditional Forest Dwellers.

जिला पंचायत सदस्य
टिहरी गढ़वाल

जिला समाज कल्याण अधिकारी
टिहरी गढ़वाल

प्रभागीय वनाधिकारी
प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनि-की-रेती
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनिकीरेती

उप प्रभागीय वनाधिकारी
देवप्रयाग उप वन प्रभाग
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनिकीरेती

Signature
(ज्योति नीरज ...)
जिलाधिकारी
टिहरी गढ़वाल।

(57)

प्रारूप सं0 – 1.90

भू–अर्जन प्रमाण पत्र
ग्राम पंचायत का नाम – झनाऊ (जुराना)
तहसील देवप्रयाग, जिला टिहरी गढ़वाल

परियोजना का नाम :– राज्य योजना के अन्तर्गत लिंगवाणा से सौडू रानीताल से मोल्ठा मोटर मार्ग का निर्माण।

स्वीकृति सन्दर्भ :– 549/111(2)/14-49(प्रा0आ0)/2013 दिनांक 29 जनवरी, 2014.

विधान सभा देवप्रयाग के विकास खण्ड़ कीर्तिनगर के अन्तर्गत लिंगवाणा से सौडू रानीताल से मोल्ठा मोटर मार्ग 4.350 कि0मी0 हेतु उपरोक्त शासनादेश द्वारा प्रशासकि एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई है। जिसके सापेक्ष गांव वालों की सहमति पर ही 4.350 कि0मी0 लम्बाई हेतु प्रस्ताव गठित किया जा रहा है।

प्रखण्ड़ टिहरी गढ़वाल परिक्षेत्र के लिंगवाणा से सौडू रानीताल से मोल्ठा मोटर मार्ग के नव निर्माण के लिये 0.0175 है0 आरक्षित वन भूमि, 1.470 है0 सिविल वन भूमि, शून्य है0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 1.4875 है0 का अस्थाई खण्ड़ लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। तथा बाकी नाप भूमि 1.6575 है0 ग्राम पंचायत झनाऊ के काश्तकारों से देना प्रस्तावित है।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित नाप भूमि को सम्बन्धित काश्तकारों से नियमानुसार सहमति से अथवा अर्जित कर प्रयोकता एजेन्सी को उपलब्ध करा दी जायेगी एवं प्रश्नगत मोटर मार्ग निर्माण बाधित नहीं होगा।

सहायक अभियन्ता अ0ख0लो0नि0वि0	20/01/15 अधिशासी अभियन्ता अस्थाई खण्ड लो.नि.वि. श्रीनगर मुख्यालय कीर्तिनगर	प्रतिहस्ताक्षरित जिलाधिकारी अपर जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल।

प्रपत्र–3.2

परियोजना का नामः– **राज्य योजना के अन्तर्गत लिंगवाणा से सौड़ू–रानीताल मोल्ठा मोटर मार्ग का नव निर्माण।**

कार्यालय उप जिलाधिकारी, **कीर्तिनगर**
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण–पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, कीर्तिनगर

उपखण्ड **कीर्तिनगर** परिक्षेत्र के अन्तर्गत **लिंगवाणा सौड़ू रानीताल मोल्ठा मोटर मार्ग** (0.0175 है0 आरक्षित वन भूमि, 1.470 **हे0** सिविल सोयम भूमि शून्य है वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 1.4875 हे0 वन भूमि का **लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर** प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील **देवप्रयाग**) की दिनांक 1/09/015 .... को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री दीपेन्द्र नेगी............., उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1–	श्री दीपेन्द्र नेगी	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष
2–	श्री डी०पी० बलूनी	उप प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य
3–	श्री विनोद कुमार उनियाल	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य/सचिव
4–	श्रीमती सुनीता देवी	बी0डी0सी0 क्षेत्र	सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि **लिंगवाणा सौड़ू रानीताल मोल्ठा मोटर मार्ग** परियोजना हेतु 1.4875 हे0 वन भूमि **लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर** प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, **देवप्रयाग, उपवन प्रभाग नरेन्द्रनगर वन प्रभाग** द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड **कीर्तिनगर** परिक्षेत्र के अन्तर्गत **लिंगवाणा से सौडू रानीताल मोल्ठा मोटर मोटर मार्ग** परियोजना के निर्माण **हेतु 1.4875 हे0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर** प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अक्ष्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
उप जिलाधिकारी
कीर्तिनगर, टिहरी गढ़वाल
तहसील–..
जनपद ....

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अक्ष्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–..
उप जिलाधिकारी
कीर्तिनगर, टिहरी गढ़वाल
जनपद ....

(60)

परियोजना का नामः– राज्य योजना के अन्तर्गत लिंगवाणा से सौड़ू–रानीताल मोल्ठा मोटर मार्ग का नव निर्माण।

दिनांक 01/09/2015 उपखण्ड स्तरीय समिति की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

जनपद–

1.	श्री दीपेन्द्र नेगी	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष	[signature] उप जिलाधिकारी कीर्तिनगर, टिहरी गढ़वाल
2.	श्री डी॰पी॰ बलोनी	उप प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य	
3.	श्री विनोद कुमार [illegible]	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य / सचिव	[signature]
4.	श्रीमती सुनिता देवी	बी0डी0सी0 क्षेत्र	सदस्य	सुनिता देवी सुनीता देवी क्षेत्र पंचायत सदस्य [illegible] वि० ख०-देवप्रयाग (टि० ग०)

प्रपत्र– 23

परियोजना का नामः– जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत लिंगवाणा से सौंड्-रानीताल मोल्डा मोटर मार्ग का नव निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम– तोली-चन्द्रबदनी (लिंगवाणा)

तहसील देवप्रयाग जिला टिहरी गढ़वाल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद **टिहरी गढ़वाल** के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत लिंगवाणा-सौंड्-रानीताल-मोल्डा मोटर मार्ग की परियोजना के निर्माण **हेतु (0.0175 हे0 आरक्षित वन भूमि, 1.470 हे0 सिविल वन भूमि, 0.00 वन पंचायत भूमि)** अर्थात **कुल 1.4875 हे0** वन भूमि का **लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर** के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत तोली-चन्द्रबदनी (लिंगवाणा) द्वारा दिनांक 24/8/2015 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम तोली-चन्द्रबदनी (लिंगवाणा) के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि **लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर** प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
विकास खण्ड देवप्रयाग
जि. टिहरी गढ़वाल

ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत तोली, चन्द्रबदनी
वि. ख. देवप्रयाग टि. ग.

प्रपत्र–23.1

दिनांक 24/8/2015 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत- तोली-चन्द्रबदनी (लिंगवाणा)

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	Trilok Singh	तिलोक सिंह
2	चन्द्र सिंह	[illegible]
3	[illegible]	[illegible] सिंह
4	गजेन्द्र सिंह	गजेन्द्र सिंह
5	Mohan lal	Mohan lal
6	AJAY SINGH	[illegible]
7	प्रताप सिंह कैन्तुरा लिंगवाणा	[illegible]
8	सुरत सिंह कैन्तुरा लिंगवाणा	S. S.K
9	Jaipal singh kaintura	Kaintura
10	प्रेम सिंह	प्रेम सिंह
11	मातवर सिंह	मातवर सिंह

ह0/–

ग्राम प्रधान

[illegible]

परियोजना का नामः– जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत लिंगवाला-सौड़ू-रानीताल मोल्ठा मोटर मार्ग का नव निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण--पत्र

ग्राम पंचायत का नाम– थालनी (मोल्ठा)

तहसील देवप्रयाग जिला **टिहरी गढ़वाल**

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद **टिहरी गढ़वाल** के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत लिंगवाला-सौड़ू रानीताल-मोल्ठा मोटर मार्ग की परियोजना के निर्माण **हेतु (0.0175 हे0 आरक्षित वन भूमि, 1.470 हे0 सिविल वन भूमि, 0.00 वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 1.4875 हे0** वन भूमि का **लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर** के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत थालनी (मोल्ठा) द्वारा दिनांक 27/8/2015 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम थालनी (मोल्ठा) के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि **लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर** प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत थालनी
विकास खण्ड देवप्रयाग
जिला टिहरी गढ़वाल

दिनांक 27.8.15
ग्राम प्रधान

प्रपत्र–23.1

दिनांक 27/8/2015 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत - त्यालनी (मोल्ठा)

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
(1)	Rajani [illegible]	Rani [illegible]
(2)	लक्ष्मण [illegible]	लक्ष्मण [illegible]
(3)	मकानी देवी	मकानी देवी
(4)	विनीता	विनीता
(5)	लक्ष्मी देवी	लक्ष्मी देवी
(6)	सुनीता देवी	सुनीता देवी
(7)	Reshama Debi	Reshama Debi
(8)	लक्ष्मी देवी	लक्ष्मी देवी
(9)	गुड्डी देवी	गुड्डी देवी
(10)	मंजू देवी	मंजू देवी
11	सारदा	सारदा
12	बबीता देवी	बबीता देवी
13	लक्ष्मी देवी	लक्ष्मी देवी
14	[illegible]	[illegible]
15	मन्जू देवी	मन्जू देवी
16	खकमं लाल	खकमं लाल
17	साबा	साबा
18	[illegible]	[illegible]

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत ....[illegible]....
विकास खण्ड ....देवप्रयाग....
जिला टिहरी गढ़वाल

ह0/–
ग्राम प्रधान

दिनांक 27-8-15